# ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

## भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–**

**प्रधानः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री नरेन्द्र कुमार | 1.4.14 से 22.1.2016 |
| 2 | श्री बनारसी दास शर्मा | 23.1.16 से अद्यतन |

**सचिवः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री रमेश चन्द | 1.4.14 से 7.5.16 |
| 2 | श्री जगदीश चन्द | 8.5.16 से 16.1.17 |
| 3 | श्री महेन्द्र कुमार | 17.2.17 से 31.3.17 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

ग्राम पंचायत कोट के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर | 2.33 |
| 2 | 4.2 | रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना | – |
| 3 | 5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | अनुदान का उपयोग न करना | 22.25 |
| 5 | 8 | औपचारिकताएँ के पूर्ण किए बिना क्रय करना | 1.18 |
| 6 | 9 | क्रय सामग्री की भण्डार प्रविष्टिन करना | 1.78 |
| 7 | 10 | व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना | 23.53 |

## भाग–दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.9.17 से 29.9.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2014–15 | 03/2015 | 02/2015 |
| 2015–16 | 12/2015 | 02/2016 |
| 2016–17 | 03/2017 | 05/2016 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 29.9.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोट से अनुरोध किया गया।

### 4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कोट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

**(1) स्व स्त्रोतः–** ग्राम पंचायत कोट द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 15676 | 35203 | 50879 | 21904 | 28975 |
| 2015–16 | 28975 | 82117 | 111092 | 57293 | 53799 |
| 2016–17 | 53799 | 80831 | 134630 | 32534 | 102096 |

**(2) अनुदानः–** ग्राम पंचायत कोट के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 650729.55 | 1389847.00 | 2040576.55 | 1745936.00 | 294640.55 |
| 2015–16 | 294640.55 | 6991063.40 | 7285703.95 | 5893240.40 | 1392463.55 |
| 2016–17 | 1392463.55 | 5646850.74 | 7039314.29 | 4814609.00 | 2224705.29 |

**4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों में जमा राशि में दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष में ₹2.33 लाख का भारी अन्तरः–**

**स्वः स्त्रोतः–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| दिनांक 31.3.17 को रोकड बही का अन्तशेष | | | 102096 |
| **अनुदानः–** | | | |
| दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष | | | 2224705.29 |
| (i) अनुदान राशि बैंक में जमा परन्तु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई | | | |
| (i) | 23.12.16 | 50000 | |
| (ii) | 30.12.16 | 299914 Water Shed | |
| (iii) | 13.1.17 | 60000 | (+) 409914 |
| (ii) | बैंक ब्याज जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई | | |
| (i) | 9/16 | 289 | |
| (ii) | 03/17 | 3755 | |
| | | | (+) 4044 |
| (iii) | **बैंक खाते के अनुसार भुगतान जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई** | | **(–) 58100** |
| | **रोकड़ बहियों का वास्तविक शेष** | | **2682659.29** |
| दिनांक 31.3.2017 को बैंकों खातों में जम राशि (संलग्न परिशिष्ट–II) | | | 2449494.29 |
| | **अन्तर** | | **₹233165** |

समय पर बैंक खातों तथा रोकड़ बहियों के शेष का मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंकों का शेष रोकड़ बहियों के अन्तशेष की तुलना में ₹233165 कम पाया गया, तथा अन्तशेषों का मिलान करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना

संख्या 001, दिनांक 27.9.17 द्वारा सचिव से अनुरोध किया गया। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

## 4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत कोट की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 5 पंचायत राजस्व ₹0.82 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट—III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹81660 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 6 अनुदान ₹22.25 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—1)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹2224705 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

## 7 पंचायत निधि के लेखों का नियमानुसार रख रखाव न करनाः–

पंचायत के लेखाओं की जाँच में पाया गया कि पंचायत लेखों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता–क तथा खाता–ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखें खाते खोल कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षो के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता–क व खाता–ख में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

## 8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.18 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं (निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹117797 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 9 ₹1.78 लाख की क्रय सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–V** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹177522 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

## 10 पंचायत निधि से ₹23.53 लाख के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 47 के अनुसार पंचायत निधि में से किये गए सभी भुगतान वाउचरों द्वारा समर्थित होने

अनिवार्य है तथा इन वाउचरों में भुगतान का उद्देश्य तथा लेखाओं का सही वर्गीकरण सहितपूर्ण विवरण आवश्यक है परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए:–

**(i)** चयनित माह 02/16 तथा 05/16 में मनरेगा शीर्ष से प्राप्त अनुदान से क्रमशः ₹1548234 तथा ₹703050 का भुगतान/व्यय किया गया परन्तु इन भुगतानों से सम्बन्धित वाउचर अंकेक्षण अधियाचना संख्या 002 दिनांक 28.9.2017 जारी करने के बावजूद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए।

**(ii)** चयनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान सामान्य निधि से किये गए निम्न भुगतानों के वाउचर भी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 003 दिनांक 29.9.17 जारी करने के उपरान्त, अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए:–

| **क्र0सं0** | **वा0सं0/माह** | **विवरण** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 माह 02/15 | श्री विधि चन्द को जलपान का भुगतान | 3000 |
| 2 | 99 माह 02/16 | चौकीदार का वेतन | 4000 |
| 3 | 100 माह 02/16 | श्री धर्मपाल को भुगतान | 3000 |
| 4 | 101 माह 02/16 | पदाधिकारियों का मानदेय | 27860 |
| 5 | 103 माह 02/16 | श्री विधि चन्द को भुगतान | 4400 |
| 6 | 106 माह 02/16 | कार्यालय व्यय | 600 |
| 7 | 107 माह 02/16 | रोहित कम्पयूटर को भुगतान | 14850 |
| 8 | 04 माह 05/16 | मजदूरी का भुगतान | 12580 |
| 9 | 06 माह 05/16 | –यथोपरि– | 10925 |
| 10 | 07 माह 05/16 | मै0 राधा बैल्डिंग को भुगतान | 10037 |
| 11 | 11 माह 05/16 | मजदूरी का भुगतान | 4691 |
| 12 | 12 माह 05/16 | श्री कुश सिंह सिंह को भुगतान | 5309 |
| | | **कुल योग** | **101252** |

अतः उक्त भुगतानो ंसे सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत न करना नियम 47 (1) (2) के विरूद्ध होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कुल ₹2352536 की वसूली उचित स्त्रोत से करने पंचायत निधि में जमा करने के बाद अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न वर्णित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक

है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों व अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर
(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर
(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर
(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर
(ङ) स्टैम्प रजिस्टर
(च) लेखन सामग्री रजिस्टर
(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

**12 लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण के दौरान पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

**13 निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत कोट के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 38/2017–खण्ड–1–650–653 दिनाँक22.01.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0
**पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046